परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री को लिखा पत्र

कोटा, (निसं)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव राखी गौतम ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेन्द्र ओला को आई.एल. चौराहे पर बसों का ठहराव कराने हेतु पत्र लिखकर अवगत कराया। गौतम ने कहा कि कोटा शहर की आबादी अत्यधिक होने के कारण राजस्थान रोड़वेज के मुख्य बस स्टैंड कोटा से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालवाड़, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल की ओर जाने जाने वाली बसों का ठहराव नयापुरा तथा एरोड्राम सर्किल पर होता रहा है।

जहां पर की टिकिट बुकिंग के लिए टिकिट विण्डों की सुविधाऐं भी उपलब्ध थी। किन्तु वर्तमान में एरोड्राम सर्किल पर अण्डरपास का निर्माण हो जाने के कारण झालावाड़, इन्दौर, उज्जैन, भोपाल की तरफ जाने वाली बसों का ठहराव खत्म कर दिया गया है। यह कि कोटा शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा झालावाड़ रोड़ एवं इसके समीप की कॉलोनियों में निवास करता है तथा झालावाड़ रोड़ के समीप शहर के कई सरकारी, निजी चिकित्सालय तथा शिक्षण संस्थान एवं कई कोचिंग संस्थान स्थित है।

उक्त ठहराव स्थान पर पहुचने के लिए सैकड़ों मरीजों के परिजन, छात्रों, मरीजों सहित क्षेत्र की जनता को झालावाड़ की ओर आने जाने के लिए महंगा किराया खर्च कर आटो आदि से बस स्टेण्ड पर आना पड़ता है। गौतम ने कहा कि एरोड्राम सर्किल से झालावाड़ रोड़ पर आई एल चौराहा पर फ्लाई ओवर के नीचे रोडवेज बसों का ठहराव प्रारंभ कर दिया जायें तथा टिकिट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जायें, तो क्षेत्र की जनता को काफी सुविधा मिल सकती है।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4131 | **जाहिर आम सूचना** | दिनांक-15.2.2022

आवास संख्या 4-एच-17 रंगबाडी योजना, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री लाल चन्द पंजाबी पुत्र श्री फतहे चन्द पंजाबी के किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री गोविन्द प्रसाद यादव पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद यादव के नाम दिनांक 23.09.2000 को किया गया। श्री गोविन्द प्रसाद यादव पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद यादव की मृत्यु दिनांक 19.02.2020 को एवं श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री गोविन्द प्रसाद की मृत्यु दिनांक 07.12.2017 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों श्रीमती लाड बाई पुत्री स्व. श्री गोविन्द प्रसाद यादव पत्नी श्री सुधीर कुमार एवं श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. श्री गोविन्द प्रसाद यादव पत्नी श्री हरिप्रकाश द्वारा निहित हमारा अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 26.10.2021 को अपने भाई श्री महेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व. श्री गोविन्द प्रसाद यादव के पक्ष में किया गया। श्री महेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व. श्री गोविन्द प्रसाद यादव द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर स्वयं के नाम चाहा गया है।

अतः इस आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री महेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व. श्री गोविन्द प्रसाद यादव का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री महेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व. श्री गोविन्द प्रसाद यादव का नाम हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री महेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व. श्री गोविन्द प्रसाद यादव का नाम हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4084 | **जाहिर आम सूचना** | दिनांक-14.2.2022

आवास संख्या 2-एच-8 इन्द्रिरा नगर, झालावाड का आवंटन मण्डल द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री गुलाब चन्द विजय को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री गुलाब चन्द विजय द्वारा दिनांक 31.03.2002 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरान्त श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री गुलाब चन्द विजय द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये बयनामा आलेखित कर दिनांक 30.08.2010 को श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह को किया गया। श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 21.01.2022 को अपनी बहु श्रीमती कौशल्या कंवर पत्नी श्री भैरू सिंह को किया गया। श्रीमती कौशल्या कंवर पत्नी श्री भैरू सिंह द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में अपना नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास को दान पत्र के आधार पर श्रीमती कौशल्या कंवर पत्नी श्री भैरू सिंह के नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दान पत्र के आधार पर श्रीमती कौशल्या कंवर पत्नी श्री भैरू सिंह का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दान पत्र के आधार पर श्रीमती कौशल्या कंवर पत्नी श्री भैरू सिंह के नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4073 | **जाहिर आम सूचना** | दिनांक-11.2.2022

आवास संख्या 2-एस-19 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्रीमती प्रेमलता तिवारी पत्नी श्री श्रीनाथ तिवारी को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा के नाम दिनांक 18.02.1995 को किया गया। इस आवास पंजीयन श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा के नाम दिनांक 18.02.1995 को किया गया। श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.02.2008 को एवं उनके पति श्री मोहन लाल की मृत्यु दिनांक 10.05.2009 को हो जाने के पश्चात उनके समस्त वारिसानों श्री रामावतार, श्री राधाकृष्ण दाधीच पुत्र स्व. श्री मोहनलाल शर्मा एवं रेखा दाधीच पुत्री स्व. श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 21.02.2012 को अपने भाई श्री ओमप्रकाश दाधीच पुत्र स्व. श्री मोहनलाल शर्मा के पक्ष में किया गया। श्री ओमप्रकाश दाधीच पुत्र स्व. श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा उक्त आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी और से दिनांक 09.11.2021 को श्री धर्मेन्द्र कुमार टांक पुत्र श्री मोहन लाल टांक को अपना मुख्तारआम धारक नियुक्त किया गया। श्री धर्मेन्द्र कुमार टांक पुत्र श्री मोहन लाल टांक ने मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.11.2021 को श्री राहुल दुगड़ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दुगड़ को किया गया। श्री राहुल दुगड़ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दुगड़ द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में अपना नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास को विक्रय पत्र के आधार पर श्री राहुल दुगड़ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दुगड़ के नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री राहुल दुगड़ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दुगड़ का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री राहुल दुगड़ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार दुगड़ के नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2021-22/5603 | दिनांक-15.02.22

आम सूचना/आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष, श्रद्धालय आश्रम समिति कोटा ने नगर पालिका रावतभाटा द्वारा नीलामी से विक्रयशुद्धा विद्यालय प्रयोजनार्थ संस्थानिक (शैक्षणिक) भूखंड संख्या 01 ब्लॉक संख्या "बी" साईज 310x205 क्षेत्रफल 63550 वर्गफीट अर्थात 5906 वर्गमीटर श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के अन्तर्गत भूखंड के सामने की पूर्व दिशा में स्थित 40 फीट रोड से लगी हुई नगर पालिका भूमि जिसकी साईज (5+2)=7/2x310 क्षेत्रफल 1085.100 वर्गफीट अर्थात 120.56 वर्गगज अर्थात 100.80 वर्गमीटर भू-पट्टी/खाँचा भूमि आवंटन करने हेतु इस कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार उक्त संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग का विद्यालय प्रयोजनार्थ भूखंड संख्या 01 ब्लॉक "बी" श्रीगणेश नगर आवासीय योजना नगर पालिका रावतभाटा की नीलामी दिनांक 03.10.2018 को खुली बोली द्वारा विक्रय किया जाकर उच्चतम बोलीदाता अध्यक्ष श्रद्धालय आश्रम समिति कोटा के पक्ष में शाश्वत लीज डीड क्रमांक 157 दिनांक 13.11.2018 पंजीयन दिनांक 20.11.2018 को करवाया गया है।

चूंकि इस भूखंड की नीलामी के समय भूखंड पर चार दीवारी निर्मित थी और मौके पर पूर्व दिशा की ओर 40 फीट चौड़ा रोड तथा तीनों तरफ 30 फीट चौड़ा रोड प्लानानुसार था, 40 फीट रोड के मार्गाधिकार की भूमि में से 5 फीट कम पड़ने के कारण तकनीकी जांच रिपोर्ट अनुसार योजना की मौके पर किये गये डिमार्केशन में चूक होना बताया गया। जबकि रोड सेन्टर से देखा जाये तो 20-20 फीट दोनों तरफ मार्गाधिकार की भूमि उपलब्ध होना चाहिए। परन्तु जांच में यह पाया गया कि 20 फीट का मार्गाधिकार छोड़े जाने के बाद एक तरफ 5 फीट एवं दूसरी तरफ 2 फीट चौड़ी एवं 310 फीट लम्बी भू-पट्टी उपलब्ध है, जबकि सामने वाले भूखंडों को डिमार्केशन की चूक के कारण 20 फीट के स्थान पर 15 फीट ही मार्गाधिकार की भूमि उपलब्ध होना पायी गयी है। आवेदक को भू-पट्टी/खाँचा भूमि आवंटन से पूर्व एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 29.11.2021 के बिन्दु संख्या 2 के निर्णय अनुसार उक्त आवेदित भूखंड संख्या 01 ब्लॉक "बी" के आस-पास व सामने स्थित भूखंडों के सम्मुख स्वीकृत प्लान के अपेक्षा वर्तमान स्थिति अनुसार रोड की उपलब्धता का सर्वे करवाया गया, सर्वे प्लानानुसार स्वीकृत प्लान के अपेक्षा उक्त भूखंड के आस-पास व सामने स्थित भूखंडों के सम्मुख भिन्न-भिन्न माप की रोड की उपलब्धता पायी गयी है। जिस कारणवश उपरोक्त भूखंडों हेतु एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 29.11.2021 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार बिल्डिंग लाईन का निर्धारण किया गया है, जिसका अनुमोदन श्रीमान सहायक नियोजक नगर नियोजन विभाग ईकाई चित्तौड़गढ़ से करवाया गया है। अनुमोदन उपरान्त मौके पर खाँचा भूमि/भू-पट्टी का क्षेत्रफल 5+2=7/2x310-21.5 (R-10)=1063.50 वर्गफीट (98.83 वर्गमीटर) होना पायी गयी है।

अतः उक्त भूखंड के आस-पास व सामने स्थित भूखंडों के सम्मुख वर्तमान स्थिति अनुसार भिन्न-भिन्न रोड की उपलब्धता पायी गयी है, उपरोक्त भूखंडों के सम्मुख रोड उपलब्धता के अनुसार बिल्डिंग लाईन निर्धारण में व साथ ही उक्त अनुमोदित खाँचा भूमि/भू-पट्टी आवेदक को आवंटन किये जाने में किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई उजर व आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सूचित रहे

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

आरएसएस ठगेतों का संघ है और यह सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हैं, उससे संबंधित हैं : धारीवाल

भाजपा के वाकआउट करने के बाद यूडीएच मंत्री ने भाजपा के लिये कहा कि ये सब बदनाम संस्था के सदस्य हैं, इसलिये दूसरों को भी बदनाम करना चाहते हैं

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जांच का अंत होना चाहिए। गैंग को तोड़ना चाहिए। परीक्षा देने वाले बच्चों का दर्द हम जनप्रतिनिधि होने के नाते निवेदन हैं कि चोरों के गिरोह का सरताज पकड़ने में आना चाहिए। इसके लिये सीबीआई जांच जरूरी है यदि ये नामंजूर है तो हम बर्हिगमन करते हैं और विपक्ष वाकआउट कर गया

विधानसभाध्यक्ष डॉ जोशी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री का जवाब है और आशा करे कि इस मामले में भी कुछ कहा जायेगा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज अरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर (यूडीएच मंत्री) शांति धारीवाल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के बारे में कहा कि यह ठगेतों का संगठन है। भाजपा विधायकों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब लोग बदनाम संस्था के सदस्य हैं, इसलिए दूसरों को भी बदनाम करना चाहते हैं। ये सब निंबाराम के चेले हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। इनका मकसद है कि यह मामला सीबीआई को चला जाए। सीबीआई केंद्र के कंट्रोल में है, वह यहां आकर बोर्ड और सरकारी दफ्तर सील कर दें ताकि 62 हजार शिक्षकों की भर्ती रुक जाए। इनका मुख्य मकसद यह है कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिले। ये दिल्ली के इशारे पर सब कर रहे हैं। इनका खुद का दिमाग नहीं है, इनका उपर से खाली है, लेकिन दिल्ली के डायरेक्शन से सब कर रहे हैं। इससे पहले ही पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी की ये तारीफ कर चुके हैं।

इसके पहले रीट भर्ती में पेपर लीक को लेकर मंगलवार को भी हंगामा हुआ। पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही शुरु होते ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा उठाने लगे। इस पर अध्यक्ष डा सी पी जोशी ने अनुमति नहीं दी और कहा कि अंकित नहीं होगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के सदस्य इस मांग को लेकर सदन के वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।

बीजेपी विधायकों के हंगामे से नाराज स्पीकर सीपी जोशी ने कहा सदन में एक बार जिस मुद्दे पर चर्चा हो जाती है, उस पर फिर से चर्चा नहीं होती है। रीट पर कल ही चर्चा हो चुकी है। आप जो परंपरा डाल रहे हो वह संसदीय परंपरा में काले अध्याय के रूप में याद रहेगी, यदि आप मुझे कंपेल करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करेंगे तो मुझे कठोर निर्णय करना होगा।

कार्यवाही शुरु होते ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के सदस्य अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) पेपर लीक मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मांग को लेकर वेल आकर हंगामा करने पर यह बात कही। बाद में प्रश्नकाल के बीच में अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यों से फिर निवेदन किया कि वह अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखे और उनको अपनी बात आसन के सामने होकर रखनी है। उन्होंने कहा कि विरोध करने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से विरोध करने से किसी सदस्य की बीपी बढ़ जायेगी तो डाक्टरों को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विरोध इस तरीके से करे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और अपनी बात भी रख सके। उन्होंने आग्रह किया कि वे अपना विरोध करने के तरीके को बदले। इसके बावजूद विपक्ष के सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे अपना विरोध जारी रखा।

इसके बाद शून्यकाल शुरु होते ही डॉ.जोशी ने शोकाभिव्यक्ति के लिए पुकारने पर विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले गये और सदन में पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा सदस्य भगराज चौधरी के निधन पर शोकाभिव्यक्ति की गई। इसके बाद राठौड़ फिर खड़े होकर रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग करने लगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खड़े होकर बोलने लगे और आग्रह किया कि रीट परीक्षा के दौरान बोर्ड सचिव के आदेश की पालना 32 जिलों में तो की गई जबकि केवल जयपुर जिले में अलग व्यवस्था पर सरकार मौन हैं।

इस पर डॉ जोशी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री का जवाब हैं और आशा करे कि इस मामले में भी कुछ कहा जायेगा। इस पर कटारिया ने कहा कि जांच का अंत होना चाहिए। गैंग को तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वाले बच्चों का दर्द हम जनप्रतिनिधि होने के नाते निवेदन हैं कि चोरों के गिरोह का सरताज पकड़ने में आना चाहिए। सरगना क्यों नहीं पकड़ में आया। इसके बाद विपक्ष के सदस्य 12 बजकर दस मिनट पर सदन से बहिर्गमन कर गए। जब विपक्ष बहिर्गमन कर रहे थे उस समय संससदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पहले जवाब तो सुनते जाओ, भागो मत।

हम आपकी तरह गांधी का नाम लेकर डंडे नहीं चलवाते : शेखावत

जयपुर। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग करने पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को चेताया है। शेखावत ने कहा कि हम आपकी तरह गांधी का नाम लेकर डंडे नहीं चलवाते, हम अहिंसा से न्याय का अधिकार चाहते हैं। मंगलवार को ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पानी की तेज घायल करती बौछारें गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं को पीछे धकलने के लिए चलवाई हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. सतीश पूनियां को पुलिस-प्रशासन ने धक्का देकर घायल किया, ताकि रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग दब जाए। ये दबाने और डराने का खेल हमने बहुत देखा है गहलोत जी। शेखावत ने कहा कि आपने अपनी नीयत दिखा दी, अब भाजपा आपको युवाओं की ताकत दिखाएगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि युवाओं संग भाजपा का काफिला नहीं रुकेगा न्याय मिलते तक, इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी लगवा दोगे क्या?

रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा घेराव

- जयपुर में करीब एक लाख कार्यकर्ता पहुंचने का दावा किया भाजपा ने
- कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का मुक्की में सतीश पूनिया को चोट आई
- अरूण सिंह, गुलाबचंद कटारिया, राजेन्द्र राठौड़ सहित 68 विधायक, 15 से अधिक सांसदों, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्षों ने एक साथ गिरफ्तारी दी
- पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित उनके समर्थक प्रदर्शन से नदारद रहे

जयपुर। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा घेराव के लिये कूच किया। भाजपा का दावा है कि प्रदेशभर से करीब एक लाख कार्यकर्ता जयपुर में जुटे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पुलिस-प्रशासन का दुरूपयोग कर बहुत से लोगों को जयपुर के अन्दर तक नहीं घुसने दिया। विधानसभा घेराव कूच में डॉ. सतीश पूनियां, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित 68 विधायक, 15 से अधिक सांसद व प्रदेश पदाधिकारियों ने एक साथ गिरफ्तारियां दी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित उनके समर्थक एवं कार्यकर्ता इस प्रदर्शन से नदारद रहे।

कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सतीश पूनियां जब बेरिकेटस पर चढ़े तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वे नीचे गिर गये और उनके एक पैर में गंभीर चोट आ गई। इसके बावजूद वे कार्यकर्ताओं के साथ डटे रहे। देर शाम पार्टी मुख्यालय पहुंचे जहां समर्थकों ने उनकी कुशलक्षेम पूछी। फिलहाल डॉक्टरों ने सतीश पूनियां को कुछ दिन आराम की सलाह दी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन चलाई, धक्का-मुक्की की, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई।

डॉ. सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए भाजपा सड़क से लेकर विधानसभा तक अंतिम सांस तक लड़ेगी, जिससे राजस्थान के लाखों युवाओं को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि एसओजी स्टेट की एजेन्सी होने के कारण मंत्री व मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं कर सकती, इसलिए भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। डॉ. पूनियां ने कहा कि रीट पेपर आयोजन की जिम्मेदारी कई जिलों में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोगों को दी गई, 36 से अधिक गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रदीप पाराशर भी इसी सर्किल से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सर्किल के चेयरमैन हैं व इनकी सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग इस सर्किल के कॉ-कोर्डिनेटर हैं। हमारी मांग है कि युवाओं को नौकरी देने के लिए राज्य सरकार भर्तियों की संख्या बढ़ाकर भर्तियां पूरी करे और रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, जिससे इस घोटाले का खुलासा होने से बडे मगरमच्छों को जेल में डाला जा सके और राजस्थान के युवाओं को न्याय मिल सके। कांग्रेस सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई तो भाजपा की सरकार बनने पर सीबीआई से जांच करायेंगे।

अरूण सिंह ने कहा कि भर्तियों में घोटाला, पेपर चोरी होना, इंटरव्यू में अपनों के नम्बर बढ़वाना इन सब में कांग्रेस सरकार की संलिप्तता है। रीट का पेपर सिर्फ लीक ही नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार के संरक्षण में चोरी हुआ है और यह भी माना जा रहा है कि करीब 500 करोड़ से अधिक का यह महाघोटाला है, जिसकी सीबीआई जांच से पूरा खुलासा हो सकेगा और दोषियों को सजा मिल सकेगी। अरूण सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार रीट घोटाले की सीबीआई जांच नहीं कराती है तो भाजपा की सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाकर राजस्थान के लाखों युवाओं को न्याय देने का कार्य करेगी।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि रीट पेपर लीक से न केवल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि इनसे जुड़े हुए करोड़ों परिवार भी प्रभावित हुए हैं। शिक्षा संकुल के स्ट्रॉग रूम से पेपर कैसे चोरी हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए व्यक्ति प्रदीप पाराशर को स्ट्रॉग रूम की चाबी किसके कहने पर दी गई और किसके कहने पर शिक्षा संकुल से पेपर चोरी हुए? इस सभी बातों का खुलासा सीबीआई जांच से ही संभव है, क्योंकि एसओजी न तो गोविन्द डोटासरा व सुभाष गर्ग और न ही मुख्यमंत्री आवास में घुसकर मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है। कटारिया ने कहा कि यह कोई छोटा घोटाला नहीं है, स्वयं कांग्रेस सरकार के संरक्षण में कई कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कई सौ करोड़ का बड़ा घोटाला है जिसका पर्दाफाश सीबीआई ही कर सकती है, जैसे हरियाणा में भर्ती घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा और यहां भी सीबीआई जांच हो गई तो सरकार में बैठे बड़े लोग भी जेल जायेंगे। राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार का चरित्र महाघोटाला सरकार हो चुका है, जिसमें रीट पेपर लीक सहित तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए, जो प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ा अन्याय है, भाजपा रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में डॉ. सतीश पूनियां के नेतृत्व में लगातार आंदोलन कर रही है

विधानसभा घेराव आंदोलन में प्रदेश महामंत्री एवं सांसद दीया कुमारी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, सुशील कटारा, वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी, सांसद किरोड़ी मीणा, सुमेधानंद सरस्वती, सुखवीर सिंह जौनपुरिया, रंजीता कोली, रामकुमार वर्मा, नरेन्द्र कुमार खींचड़, राजेन्द्र गहलोत, भागीरथ चौधरी, कनकमल कटारा, सुभाष बहेडिया, पीपी चौधरी, विधायक नरपत सिंह राजवी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, रामलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, माधोराम चौधरी, चंद्रकांता मेघवाल, नारायण सिंह देवल, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगडी, जितेन्द्र गोठवाल, विजेन्द्र पूनिया, महेन्द्र जाटव सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी, 68 विधायक, 15 से अधिक सांसद, सभी मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे।

संघ को रीट परीक्षा के लुटेरे कांग्रेसियों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं : देवनानी

जयपुर। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के दौरान राज्य सरकार में मंत्री शांति धारीवाल की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठगों का संगठन कहने के बयान पर भाजपा नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने पलटवार किया है। देवनानी ने कहा कि रीट परीक्षा 2021 के लुटेरे कांग्रेसियों से संघ को ईमानदारी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री खुद क्या है? ईमानदारों एवं देशभक्तों के संगठन पर आरोप लगाने से पहले वे अपने गिरेबान में झांके तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि संघ की पहचान पूरे विश्व में एक अनुशासित और देशभक्त संगठन के रूप में है। संघ की ओर से तैयार स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पूरा विश्व मानता है संघ एवं संघ के स्वयंसेवक ईमानदार, अनुशासित एवं राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं, लेकिन मंत्री धारीवाल की ओर से संघ को ठगों का संगठन बताना अनर्गल और बेबुनियाद है। देवनानी ने कहा कि झूठे आरोपों से कांग्रेस के पाप धुलने वाले नहीं है, अगर कांग्रेस को अपने पाप धोने ही है तो रीट परीक्षा 2021 में हुए धांधली और अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप कर धोए। प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया कांग्रेस अशोक गहलोत और उनकी सरकार के मंत्री जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। सीबीआई जांच नहीं कराने की बात पर अडिग यह कांग्रेसी एक के बाद एक ऐसे सत्य हीन और सत्य से कोसों दूर झूठे बयान दे रहे हैं।

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक : न.पा.भ./भूमि/22/878 | दिनांक : 15.2.2022

लोक सूचना

श्री/श्रीमती खातेदारों के नामः-राजस्थान सरकार की इस कार्यालय में नीचे उल्लिखिति भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के भवानीमंडी मास्टर प्लान 2031 के अनुसार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय से सम्पर्ण भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक हेतु आवेदन किया है, अर्थातः-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
झालावाड़ तह. पचपहाड़	भवानीमंडी	421	4.8304 हेक्टीयर में से बनी इमारत 1965.65 वर्गमीटरी में से =1517.65 वर्गमीटर उत्तर की ओर का
		कुल 1 किता रकबा	1517.65 वर्गमीटर

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प 10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 16.4.2010 के अधीन उपरोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग परिवर्तन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.02.22 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भवानीमंडी

कार्यालय नगर पालिका मण्डल केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक: 755-57 | दिनांक:-15.02.2022

आपत्ति सूचना पत्र

सर्वसाधारण एवं हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत पालिका में निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961/69 के अंतर्गत स्वयं के मकानों/भूखंडों के पट्टा बनाने हेतु पत्रावलीयां पालिका में प्रस्तुत की गई है। उक्त पत्रावलीयों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय पिता/पति	आवेदक का पता	ख.सं. एवं नियमन का प्रकार/पत्रावली का शीर्षक	साईज (वर्गफुट)
1.	प्रहलाद/छीतरलाल	वार्ड नं. 7 खेडा मोहल्ला के. पाटन	स्टेट ग्रांट	982.67sq/ft
2.	शेषनारायन शर्मा/ बाबूलाल शर्मा	वार्ड नं. 14 के. पाटन	स्टेट ग्रांट	1974 sq/ft
3.	गणेश शर्मा/कल्याण शर्मा	वार्ड नं. 6 पुराने गुरुद्वारे के के. पाटन	स्टेट ग्रांट	643.57 sq/ft
4.	गीता बाई/रघुनंदन	वार्ड नं. 16 के. पाटन	69-क नियमन	84 sq/ft
5.	मोहम्मद रफीक/ मोहम्मद सिददीक	वार्ड नं. 19 मेघवाल बस्ती के. पाटन	फ्रिहोलड	999 sq/ft
6	नाथूलाल/बाला	वार्ड नं. 16 पटवार घर के पास के. पाटन	स्टेट ग्रांट	2265.115sq/ft
7.	सुशीला बाई/पति रामेश्वर सज्जन/रामेश्वर	वार्ड नं. 7 खेडा मोहल्ला के. पाटन	69-क नियमन	1336.07 sq/ft
8.	महावीर सुमन/सत्यनारायण	वार्ड नं. 7 खेडा मोहल्ला के. पाटन	स्टेट ग्रांट	402.16 sq/ft
9.	अब्दुल सलाम/ अब्दुल हमीद	वार्ड नं. 16 सेलार गाजी का मोहल्ला के. पाटन	स्टेट ग्रांट	574.81 sq/ft
10.	द्वारका बाई/हजारीलाल	वार्ड नं. 5 खेडा मोहल्ला के. पाटन	स्टेट ग्रांट	4463 sq/ft
11.	रुपराज नामा/ हुकमचन्द नामा	वार्ड नं. 8 मदन मोहन जी के मंदिर के पास के. पाटन	69-क नियमन	450 sq/ft
12.	अजीत सिंह/जोगेन्द्र सिंह कुलदीप कौर/अजीत सिंह	वार्ड नं. 9 के. पाटन	69-क नियमन	435.6 sq/ft
14.	रामरतन, नरोत्तम/पन्नालाल	वार्ड नं. 7 खेडा मोहल्ला के. पाटन	स्टेट ग्रांट	1939.07 sq/ft
15.	राजेश गौत्तम/ पत्नी राजेन्द्र गौत्तम योगेश गौत्तम/पति राजेन्द्र	वार्ड नं. 4 पावर हाउस कालोनी के. पाटन	69-क नियमन	1200 sq/ft
15.	मोहम्मद अली/बाबू खां	वार्ड नं. 18 चमेली पाडा के. पाटन	69-क नियमन	340.278 sq/ft
16.	महावीर चित्तौडा/भैरुलाल	वार्ड नं. 5 के. पाटन	69-क नियमन	8611 sq/ft
17.	बसंती बाई/पत्नी बजरंगलाल श्याम मनोहर शर्मा/ पिता गजानंद	वार्ड नं. 14 के. पाटन	69-क नियमन	1565.22 sq/ft
18.	बाली बाई/गोबरीलाल	वार्ड नं. 12 मेघवाल बस्ती के. पाटन	69-क नियमन	1237.938sq/ft
19.	रामप्रताप/हीरालाल	वार्ड नं. मेघवाल बस्ती 12 के. पाटन	69- के नियमन	1708.167sq/ft
20.	महावीर/भज्जीराम	वार्ड नं. 17 रामदेव जी के मंदिर के पास के. पाटन	स्टेट ग्रांट	1250 sq/ft
21.	सोहनी बाई/रमेश मेघवाल	वार्ड नं. 12 मेघवाल बस्ती के. पाटन	69-क नियमन	957 sq/ft
22.	कालूलाल/गंगाराम	वार्ड नं. 7 खेडा मोहल्ला के. पाटन	स्टेट ग्रांट	1751 sq/ft
23.	भारत नामा/गिरिराज नामा	वार्ड नं. 22 के. पाटन	स्टेट ग्रांट	1225 sq/ft
24.	मोहम्मद मतीन/नूर मोहम्मद	वार्ड नं. 06 राजराजेश्वर रोड के. पाटन	69-क नियमन	1200 sq/ft
25.	इम्मामुद्दीन/कादर	वार्ड नं. 16 करकस बाजार के. पाटन	स्टेट ग्रांट	1301.55 sq/ft
26.	रामलाल कराड/ लटुरलाल कराड	वार्ड नं. 2 भगत सिंह कालोनी के. पाटन	69-के नियमन	260 sq/ft
27.	वाजिदुर्रहमान हफीजर्रहमान रिजवानुर्रहमान/अमीनुर्रहमान	वार्ड नं. 11 मेन मार्केट मोहल्ला हाजीपुरा के. पाटन	69-क नियमन	711.87 sq/ft
28.	शुभम, प्रमिक/रामस्वरुप	वार्ड नं. 7 के. पाटन	स्टेट ग्रांट	2016.84 sq/ft
29.	अकीला बानो/ पति मोहम्मद असलम	वार्ड नं. 18 गोल चबुतरा के. पाटन	69-क नियमन	1365.81 sq/ft

उक्त प्लाटों/मकानों के पट्टे बनाने में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मय साक्ष्य सबूत के अन्दर अवधि 7 योम में इस पालिका में प्रस्तुत कर देवें अन्यथा बाद गुजरने अवधि ऊपर उल्लेखित आवेदकों के नाम का पट्टे जारी कर दिये जायेंगे। सूचित हो।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका के. पाटन